

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

रॉची, दिनांक : ५.६.१२

विषय :— मॉग संख्या—५०—लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष—७९६—जन—जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष—३०—लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी. केन्द्रांश), विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड—५०P470200796300545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२—१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२—१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	५०—लघु सिंचाई विभाग /४७०२—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	७९६—जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना / ३०—लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (ए.आई.बी.पी.; केन्द्रांश),	०५—निर्माण ४५ मुख्य निर्माण कार्य / ५०P470200796300545	२७०.००

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ दो करोड़ सत्तर लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२—१३ के बजट उपबंध ₹ १६०००.०० लाख (₹ एक सौ साठ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट—१ में अंकित कार्यों के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
 8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
 9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
 10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
 11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
 12. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
 13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
 14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।
- नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
- अनु. :- यथोक्त

४५
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

४५

राँची, दिनांक :- ५.६.१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/लोहरदगर/गुमला/दुमका/सरायकेला-खरसौंवा/जमशोदपुर/गुमला/साहेबगंज/लोहरगदगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

५१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

५१

राँची, दिनांक :- ५.६.१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

५१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

५१

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

५१

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

मौग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग,
मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिवेष्य,
लघु शीर्ष-796-जन. जातीय होत्रीय उपयोगना,
उपशीर्ष-30-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण (एआईबीपी. कन्नारा)
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य,
विपत्र कोड-50P470200796300545

बजट उपवध (वर्ष 2012-13) रु. 16000.00 लाख

(लाख रु० मे)

क्र	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसार	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वार्ष 2012 तक का व्यय	विविध वर्ष 2012-13 में आवंटन				
								1	2	3	4	5
श्रेष्ठताबद्ध चेकडैम का निर्माण												
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदगा	लोहरदगा		भगड़ा	1 खंडस खिलरी नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		137.184	76.545				
				कुहू	2 विरीनला पर शू. चेकडैम निर्माण		129.848	90.543	0.00	75.00	75.00	
				सेन्हा	3 बैंकी नदी पर शू. चेकडैम निर्माण		186.510	107.825				
				किसको	4 किस्कु नदी पर शू. चेकडैम निर्माण		149.600	54.625				
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला	गुमला		डुमरी	1 लघरी नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		603.142	329.538	0.000	75.000	75.000	
							139.000	84.910	0.00	54.00	54.00	
							139.000	84.910	0.000	54.000	54.000	
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर	झु. सिहूम		चाकुतिया	1 चड्हीकुला नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		135.730	121.635	0.00	17.00	17.00	
							135.730	121.635	0.000	17.000	17.000	
4	लघु सिंचाई प्रमण्डल, सरायकेला	सरायकेला-खरसाँवा		गढ़रिया	1 राधा नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		132.820	88.250				
				राजनपार	2 कोलवीरा स्थानीय नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		124.080	99.176	0.00	8.00	8.00	
				सरायकेला	3 सिन्ही सिदमा नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		136.610	79.200				
5	लघु सिंचाई प्रमण्डल, डुमका	डुमका		जामा	1 कोमरा नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		393.510	266.626	0.000	8.000	8.000	
				मसलिया	2 कुलहरिया जोरिया नाला पर शू. चेकडैम का निर्माण		247.400	177.570	0.00	60.00	60.00	
6	लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज	साहेबगंज		बरहरया	1 बरनी नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		200.000	116.570				
				राजमहल	2 गाहरिया नाला पर शू. चेकडैम निर्माण		447.400	294.140	0.000	60.000	60.000	
7	लघु सिंचाई प्रमण्डल, जामताडा	जामताडा		कुण्डहीत	1 बद्ररनाचा नाला पर शू. चेकडैम का निर्माण		77.805	51.350	0.00	15.00	15.00	
							145.325	51.890				
							223.130	103.240	0.000	15.000	15.000	
							230.000	167.640	0.000	41.000	41.000	
							230.000	167.640	0.000	41.000	41.000	
							2171.912	1367.729	0.000	270.000	270.000	
आवादित राशि - ₹ दो करोड़ सत्तर लाख रुपये।												

(ओकार नाथ)

सहायक अधिकारी

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (आम)

(बी. सी. निर्माण)

(एस० कै० रायपथी)

प्रधान सचिव